



डिकेटेड फ्रेट कोरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
आरत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited
A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. 2021/HQ/Admin/RTI-845

New Delhi: 31.08.2021

Sh. Shyam Ji
UP

Subject: Providing information w.r.t. Original RTI Application received under the RTI Act 2005.

Reference: Your online RTI application dated 10.08.2021 (Registration No. DFCCL/R/E/21/00679) received through DOPT portal.

Information, as obtained from the concerned record holding office, is attached.

Hope the above information is complete and satisfactory. If not, then you can appeal within 30 days of receipt of the letter to the 1st Appellate Authority whose name and address is as under;

Ms. R. P. Chhibber
GGM/Administration DFCCIL,
5th Floor, Supreme Court Metro Station Building,
Pragati Maidan, New Delhi-110001.

DA: 06 sheets

(S.K. Roy)
Dy. G.M/Admn.(PIO)
E-mail: skroy@dfcc.co.in
011-23454707



डिडिसीसी फ्रेट कॉरिडोर

डिडिसीसी फ्रेट कॉरिडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(रेल मंत्रालय का उपकरण)
DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED

(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)

पत्रांक: CNB/EN/RTI/16(A)/Y-21/M-8(14)

दिनांक: 18.08.2021

सेवा में,

महाप्रबन्धक / समन्वय,
 डी०एफ०सी०आई०एल०,
 दुष्ठला (आगरा)

विषय— सूचना अधिकार अधिनियम - 2005, के अन्तर्गत श्री श्याम जी पुत्र गोपिन्द प्रसाद, अम्बेडकर नगर
 प्राम—रुसा, ताहो-अकबरपुर, जनपद-कालपुर देहात के द्वारा मांगी गई सूचना के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:—उप महाप्रबन्धक / एफडीसी (पीआईओ), नई दिल्ली, का पत्र 2021/HQ/ADMIN/RTI-845

Dated 11.08.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का काष्ट करें।

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत श्री श्याम जी पुत्र गोपिन्द प्रसाद, अम्बेडकर नगर के द्वारा, जो जनसूचना अधिकारी/प्रबन्धक, डी०एफ०सी०आई०एल० नई दिल्ली को सम्बोधित हैं, उप महाप्रबन्धक / एफडीसी (पीआईओ) नई दिल्ली के पत्र 2021/HQ/ADMIN/RTI-845 Dated 13.08.2021 के साथ इस कार्यालय में उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक / एच०आर०/दुष्ठला की ई-मेल के नायम से प्राप्त हुआ है। प्रार्थी द्वारा मांगी गई सूचना के सम्बन्ध में प्रस्तावार जानकारी निम्नलिखित है—

क्रम सं०	प्रार्थी द्वारा मांगी गई सूचना	दी गई जानकारी
1.	रुसा रेलवे कार्सेंग ७४ वी के नजदीक रेलवे ट्रैक के नीचे स्थित पुलिया न० ३१४ व ३१५ का इस्तेमाल जल निकासी के लिये हो रहा है। इन दोनों पुलिया की चौड़ाई की अलग-अलग जानकारी प्रदान करें।	उक्त नाले का निर्माण TATA/ALDESA (JV) के द्वारा किया गया था, जूँके SAI/TYPSA(JV), DFCCIL, द्वारा Consultant Engineer नियुक्त है। बता उक्त RTI के सम्बन्ध में, इस कार्यालय द्वारा SAI/TYPSA(JV) से प्रार्थी द्वारा मांगी गई जानकारी का जलाव गया था।
2.	रुसा रेलवे कार्सेंग ७५वी से पुलिया न० ३१५ तक डी०एफ०सी०सी० द्वारा पक्की तरफ़ी निर्मित कराई Drainage line की लम्बाई तथा चौड़ाई कितनी है।	जिसके सम्बन्ध में, SAI/TYPSA(JV) द्वारा कम से ५ तक के प्रकरण के सम्बन्ध में ऐसे गये उत्तर को जायाप्रिय संलग्न हैं। (संलग्नक-१)
3.	क्या २ मीटर चौड़ाई की Drainage line से नगर पंचायत रुसा का जिसकी आबादी 20000 है तथा क्षेत्रफल 26000000 वर्ग मी० है, का क्या पूरा बरसात का पानी Drain हो जायेगा ?	


Office Of Dy. Chief Project Manager:-117/H2/180 Block, Pandu Nagar, Kanpur – 208005
 Telefax: 0512-2225124 Mobile 7060803032 Email—dcchampia@dfccil.gov.in, Website www.dfccil.gov.in

4.	क्या डी०एफ०सी०सी०सी० द्वारा रुदा नगर पंचायत के जल निकासी य सफाई व्यवस्था किये जाने हेतु पोखलेल मंडीन जाने के लिए रेलवे ट्रैक के बगल में मार्ग बनाया गया है।
5.	क्या डी०एफ०सी०सी०सी० द्वारा कच्चा/पक्का निर्मित करने के बाद नगर पंचायत रुदा या जिलाधिकारी कानपुर देहात का हैण्डओवर किये जाने की जिम्मेदारी डी०एफ०सी०सी०सी० की है या नहीं ?
6.	जिला ग्रीष्मास फोम, कानपुर देहात के समक्षा रामजी गुप्ता द्वारा उठाये गये जल निकासी का प्रकरण फोरम द्वारा समाप्त नहीं किया गया है, क्या यह सत्य है?

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पूर्व में श्री रामजी गुप्ता द्वारा ग्रीष्मास रिड्डेसल कमटी कानपुर देहात की बैठक दिनांक 08.01.2020 में रुदा के नाले के मामले में उठाये गये बिन्दुओं का निस्तारण अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) कानपुर देहात की अध्यक्षता में गठित कमटी की बैठक दिनांक 05.02.2020 में किया जा चुका है। जिसकी कार्यवृत्त दिनांक 05.02.2020 की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक-2) जिसमें स्पष्ट किया गया था कि डी०एफ०सी०सी० द्वारा नाले का निर्माण करा दिया गया है। वर्तमान में निर्मित नाले के अन्दर खर-पतवार और सिल्ट इकट्ठा है, इस साफ करने का दायित्व नगर पंचायत का है।

कृपया वस्तुस्थिति से अवगत होते हुए अधित्र कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक—यथोक्तानुसार।


उप परियोजना प्रबन्धक (ईजी) ।
डी०एफ०सी०सी०आई०एल०/कानपुर।
18178120051

प्रतिलिपि:- उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक/एच०आर०/टुण्डला को सूचनाथे एवं आवश्यक कार्यपाही हेतु।

Email

Re: RTI-845, Regarding RTI application of Sh. Shyam Ji , Kanpur Dehat

From : vgupta5@systra.com

Sat, Aug 14, 2021 02:28 PM

Subject : Re: RTI-845, Regarding RTI application of Sh. Shyam Ji , Kanpur Dehat

2 attachments

To : DC Champia <dcchampia.dfcc@nic.in>, Suryansh Gupta <sgupta01@dfcc.co.in>**Cc :** Sandesh Srivastava <sshrivastava@dfcc.co.in>, Sandesh Srivastava <cgmtundla@dfcc.co.in>, arvinda-v@tataprojects.com, kmal@systra.com

Dear Sir

As discussed, please find below point wise details-

S.No. (As per RTI)	Description/Details
1	Width of MNB 314 - 3.0m
	Width of MNB 315 - 4.0m
2	Length of drain from LC-94B to MNB 315 - 1456m
	Width of drain - 2.0m
3	Drain section designed as per discharge
4	No access for Poclain machine due to non-availability of land.
5	Action to be taken as per instruction of concerned District Magistrate

Regards
 Vineet Gupta

From: DC Champia <dcchampia.dfcc@nic.in>**Sent:** Saturday, August 14, 2021 11:32 AM**To:** MAL Khichchu <kmal@systra.com>; GUPTA Vineet <vgupta5@systra.com>**Cc:** Sandesh Srivastava <sshrivastava@dfcc.co.in>; Sandesh Srivastava <cgmtundla@dfcc.co.in>; arvinda-v <arvinda-v@tataprojects.com>**Subject:** Re: RTI-845, Regarding RTI application of Sh. Shyam Ji , Kanpur Dehat

Dear Sir,

Please find here with attachment file on subject matter.

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), जनपद—कानपुर देहात की अध्यक्षता में गठित जिला ग्रीवांस रिड्सेल कमेटी, कानपुर देहात की बैठक दिनांक—05.02.2020 का कार्यवृत्त।

उपस्थिति:-

- | | |
|--|---------------------|
| 1. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), जनपद—कानपुर देहात | - अध्यक्ष |
| 2. जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्य | - सदस्य (अनुपस्थित) |
| 3. सकाम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी (मू030),
कानपुर नगर। | - सदस्य (अनुपस्थित) |
| 4. मो0 शफीक कुरैशी, एडवोकेट, तहसील—अकबरपुर,
कानपुर देहात, सिविल सोसायटी | - सदस्य |
| 5. डी0सी0 चमिया, उप परियोजना प्रबंधक (सामाजिक)
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0, कानपुर | - सदस्य/सचिव |

डेलीकेटेड फ्रेट कोरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 (रिल मंत्रालय) भारत सरकार की विशेष रेल परियोजना हेतु जनपद—कानपुर देहात की अधिग्रहीत भूमि के प्रभावित भू—स्वामियों की शिकायतों एवं समस्याओं के निराकरण हेतु अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), कानपुर देहात की अध्यक्षता में गठित जिला ग्रीवांस रिड्सेल कमेटी, जनपद—कानपुर देहात की द्वितीय बैठक दिनांक—05.02.2020 को सायं 16.00 बजे, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) के कार्यालय कक्ष में सम्पन्न हुई। इस बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निम्नलिखित समस्याओं पर विस्तृत विचार—विमर्श किया गया।

- पिछली बैठक में हुए विचार—विमर्श तथा उस पर लिये गये निर्णयानुसार कृत कार्यवाही से समिति के सदस्य/सचिव द्वारा अद्यतन स्थिति से अवगत कराया गया। श्री मनोज कुमार सिंह पुत्र तेज सिंह, निवासी—ग्वालटोली, कानपुर नगर की शिकायत के सम्बंध में यह स्पष्ट किया गया कि गाठा सं0—40, ग्राम—कमालपुर, तहसील—डेरापुर, जनपद—कानपुर देहात की अर्जित भूमि पर निर्मित पुराने मन्दिर के बदले दूसरे स्थान पर मन्दिर का निर्माण हो चुका है। समिति को नवनिर्मित मन्दिर का फोटो दिखाया गया। फोटो के अवलोकन से समिति संतुष्ट हुयी। यह सुझाव दिया कि नवनिर्मित मन्दिर के ऊपर गुम्बद बना दिया जाये, जिससे स्पष्ट मन्दिर अवलोकित हो। समिति के सचिव द्वारा यह अवगत कराया गया कि निर्माण ऐजेन्सी को नवनिर्मित मन्दिर पर गुम्बद बनाने का आदेश दे दिया गया है। यह भी अवगत कराया गया कि उप जिलाधिकारी, डेरापुर द्वारा स्थानीय निवासियों के साथ बैठक कर नवनिर्मित मन्दिर में गूर्ति रखने का निर्णय लिया जायेगा। शिकायतकर्ता श्री मनोज कुमार सिंह पुत्र तेज सिंह बैठक में उपस्थित नहीं थे।
- नगर पंचायत, रुसा, जनपद—कानपुर देहात ने डी0एफ0सी0सी0 द्वारा निर्मित नाली के सम्बंध में श्री रामजी गुप्ता, निवासी—नगर पंचायत, रुसा, कानपुर देहात द्वारा दिनांक—08.01.2020 की बैठक में

कतिपय बिन्दु उठाये गये थे, जिसके सम्बंध में समिति द्वारा पूर्ण स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया था। इस बैठक में स्थिति स्पष्ट की गयी कि डी०एफ०सी०सी० द्वारा नाली का निर्माण करा दिया गया है। वर्तमान में निर्मित नाली के अन्दर खर-पतवार और सिल्ट इकट्ठा है इसे साफ करने का दायित्व नगर पंचायत का है। निर्मित नाली का फोटोग्राफ भी समिति को दिखाया गया, जिससे समिति को पूर्ण स्थिति स्पष्ट हो गयी। ~~प्रकरण सम्पत्ति नाली गया~~ २४

3. श्री रमाकान्त शुक्ला, ग्राम-परजनी, तहसील-डेरापुर, जनपद-कानपुर देहात दिनांक-05.02.2020 की बैठक में उपस्थित थे। समिति के समक्ष उन्होंने पूर्व में प्रेषित पत्रों को दिखाया और अपनी समस्याओं के सम्बंध में अवगत कराया। समिति द्वारा विचार-विमर्श उपरांत यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण की अद्यतन जांच कराकर मुझे पूर्ण स्थिति से एक सप्ताह में अवगत कराया जाये।
4. जिला ग्रीवांस रिड्डेसल कमेटी की इस बैठक में ग्राम-कमालपुर, तहसील-डेरापुर, जनपद-कानपुर देहात के प्रभावित दो भू-स्वामी श्री अनिलद्व सिंह पुत्र जगमन सिंह तथा श्री यदुवीर सिंह भी उपस्थित हुए थे, जिनके द्वारा समिति के समक्ष अपनी समस्याओं/शिकायतों को रखा गया, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

1. श्री अनिलद्व सिंह ने यह अवगत कराया कि उनकी भूमि परियोजना में प्रभावित है, जिसका प्रतिकर इन्हें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। प्रतिकर का निर्धारण बहुत कम किया गया है। इनकी शिकायत के सम्बंध में डी०एफ०सी०सी० के अधिकारी द्वारा यह बताया गया कि श्री अनिलद्व सिंह पुत्र जगमन सिंह की भूमि सीधी खरीद प्रक्रिया के अंतर्गत क्रय किये जाने का प्रकरण विचाराधीन है। इनकी भूमि व मकान गाटा सं०-३९ में प्रभावित है, जिसका मूल्यांकन अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), कानपुर देहात की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा निर्धारित किया गया है। श्री अनिलद्व सिंह तथा इनके भाई श्री यदुनाथ सिंह पुत्राण जगमन सिंह द्वारा सीधी खरीद प्रक्रिया के सम्बंध में अपनी सहमति डी०एफ०सी०सी०आई०एल० को दे दी गयी है, किन्तु इनके द्वारा निर्धारित धनराशि प्राप्त नहीं किया जा रहा है। समिति द्वारा यह परामर्श दिया गया कि यदि भू-स्वामी को कमेटी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्राप्त करने में सहमत नहीं है तो वे मा० आयुक्त महोदय के समक्ष अपना अनुरोध कर सकते हैं। उनके आदेश के उपरांत ही निर्धारित प्रतिकर में नियमानुसार वृद्धि सम्भव हो सकती है।
2. श्री यदुवीर सिंह ने यह अवगत कराया कि उनका मकान गाटा सं०-४० में प्रभावित था, जिस पर निर्मित उनके मकान के प्रतिकर का भुगतान कर दिया गया है, किन्तु भूमि का प्रतिकर उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। इस सम्बंध में डी०एफ०सी०सी० के अधिकारी

द्वारा यह अवगत कराया गया कि ग्राम समाज की भूमि पर इनका निर्मित था, जिसका प्रतिकर मान्यता प्राप्त मूल्यांकनकर्ता से मूल्यांकित कराकर भुगतान किया जा चुका है तथा नियमानुसार सहायता राशि का भी भुगतान किया जा चुका है। भूमि ग्राम समाज की होने के कारण इस भूमि का पुनर्ग्रहण करके डीएफ०सी०सी० द्वारा भूमि अधिग्रहीत की गयी है। श्री यदुवीर सिंह को इनके कब्जे की भूमि के बदले गाठा सं०-८३०क में भवन निर्माण हेतु भूमि तहसील द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, जिस पर वे कब्जा प्राप्त करने हेतु तहसील से सम्पर्क कर सकते हैं। समिति ने श्री यदुवीर सिंह को तहसीलदार से इस सम्बंध में सम्पर्क करने हेतु परामर्श दिया गया है।

बैठक संधान्यवाद समाप्त हुई।

(डी०सी० चिपिया)
उप परियोजना प्रबन्धक,
डीएफ०सी०सी०आई०एल, कानपुर
(सदस्य / सचिव)

(मो० शफीक कुरैशी)
एडवोकेट, तहसील-अकबरपुर,
सिविल सोसायटी, कानपुर देहात
(सदस्य)

(पक्ष वर्मी)
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन),
कानपुर देहात
(अध्यक्ष)

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यकारी हेतु प्रेषित।

1. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), कानपुर देहात।
2. जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्य।
3. साम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी (भूमि०), कानपुर नगर।
4. मो० शफीक कुरैशी, एडवोकेट, तहसील-अकबरपुर, कानपुर देहात, सिविल सोसायटी
5. श्री डी०सी० चिपिया, उप परियोजना प्रबन्धक, डी०एफ०सी०सी०, कानपुर।